

परिशिष्ट - IV क [नियम 8 (6) एवं 6(2) का परन्तुक देखें]

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) एवं 6(2) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियाँ जो यूको बैंक, संबंधित शाखा प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का कब्जा यूको बैंक, संबंधित शाखा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर निम्न वर्णित ऋणियों से यूको बैंक, संबंधित शाखा प्रतिभूत लेनदार की निम्न वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा बेची जाएगी।

ई-नीलामी की दिनांक एवं समय : 11.09.2026 को सुबह 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक

(भारतीय समयानुसार) बीच 10 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार के साथ

धरोहर राशि (ईएमडी) जमा करने की अंतिम तिथि 10.09.2026 को सायं 5.00 बजे तक

ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	मांग सूचना दि.	बंधक संपत्ति का विवरण एवं संपत्ति मालिक का नाम	आश्रित मूल्य
	कब्जा दिनांक		धरोहर राशि
बकाया राशि			
यूको बैंक हरदा शाखा, हरदा मोबाइल : +91 8210516731			
ऋणी: मेसर्स राजेश कुमार संतोष कुमार अग्रवाल प्रोप. राजेश अग्रवाल	12.08.2023	मकान स्थित प्लॉट संख्या 299, सर्वे संख्या एनए वार्ड संख्या 21, नजुल शीट संख्या 10सी, संजय वार्ड, हरदा क्षेत्रफल- 919.98 वर्गफुट संपत्ति मालिक- श्रीमती मीना अग्रवाल, बिक्री विलेख संख्या ए1/2682, वॉल्यूम संख्या ए1-280, दिनांक 27.03.2006, उप-पंजीयक कार्यालय, हरदा, जिला हरदा (मध्य प्रदेश) में पंजीकृत चतुर्सीमाएँ: उत्तर: श्री पारसराम पंडित की संपत्ति, दक्षिण: श्री रतन लाल अग्रवाल की संपत्ति, पूर्व: नगर पालिका रोड, पश्चिम: निस्तारी गली।	₹
	25.10.2023		21,05,000/-
	₹ 67,88,068.92/-		₹
	31.07.2026 तक की गणना + अग्रवृत्त व्याज, शुल्क, लागत और व्यय आदि।		2,10,500/-
			₹ 10,000/-
			भौतिक कब्जा